33 निग/2017/रीवा/4130

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

Rs 30/-

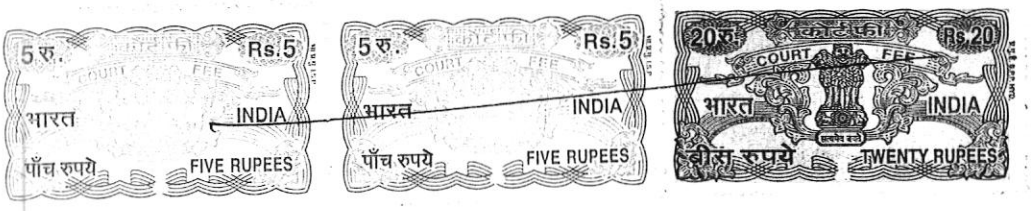

श्रीमती मानवती बेबा पत्नी स्व0 जयराम प्रसाद उपाध्याय, उम्र 75 साल, निवासी ग्राम बेला, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

---------**निगरानीकर्ता**

बनाम्

1– गंगा प्रसाद तनय जमुना प्रसाद उम्र 65 साल,

2– लालमणि मिश्रा तनय श्री जमुना प्रसाद,उम्र 60 साल।

3– राजकिशोर मिश्रा तनय श्री जमुना प्रसाद,उम्र 55 साल।

सभी निवासी ग्राम बेला,तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

-------**गैरनिगरानीकर्तागण**

अधि0 श्री ... मिश्रा द्वारा पेश 30.10.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 20.06.2017 श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय सर्किल सेमरिया, तह0 सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य निम्न है :–

यह कि निगरानीकर्ता के पति स्व0 जयराम प्रसाद उपाध्याय ने अपने जीवनकाल में अपने स्वत्व व आधिपत्य की आराजी खसरा कमाक 120 रकवा 2.28ए. स्थित ग्राम बेला, का आपसी सुविधानुसार बदला बेला निवासी काशी प्रसाद तनय रामायण प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम बेला, से कर आराजी नं0 364/1 रकवा 0.39ए.

नि0क0 मानवती

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निग0/रीवा/भू.रा./2017/4130

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक निल में नक्शा के उपर ही किये गये तरमीम आदेश दिनॉक 20–6–16 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने नक्शे के उपर ही रेखांकित कर नक्शा तरमीम किया है जिसके प्रस्ताव भी उनसे सक्षम न्यायालय ने नहीं मांगे हैं। नक्शा तरमीम कार्यवाही म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत की जाती है जिसके आदेश की प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** फलस्वरूप राजस्व निरीक्षक व्दारा के नक्शा तरमीम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। अदस्य	